217 XVII(4)/2011-1(1)/11

डा0 हेमलता ढौंडियाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 1(अप्रैल, 2012

विषयः आई0सी0डी0एस0 निदेशालय में पदो का सृजन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 501/आई0सी0डी0एस0–117/2001, दिनांक 24–11–2001 द्वारा आई0सी0डी0एस0 निदेशालय हेतु गठित/सृजित कार्यक्रम अधिकारी (मुख्यालय) वेतनमान रू0 8000–275–13500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 5400 के पद को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर उप निदेशक वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 6600 का एक अस्थायी संवर्गीय पद तथा भारत सरकार के पत्र संख्या 14–9/2005–सी0डी0–1 दिनांक 8–5–2009 के क्रम में संयुक्त निदेशक वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 7600 का एक अस्थायी संवर्गीय पद शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28–2–2013 तक की अवधि के लिये बशर्ते की उक्त पद को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त पद के धारक को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित आदेशो के अनुसार अनुमन्य किये गये महंगाई एवं अन्य आदि भत्ते भी देय होंगे।

3– उक्त पद के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माना जायेगा।

4– संगत सेवा नियमावली/अधिसूचना में उक्त के क्रम में आवश्यक संशोधन कर लिया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15 के मुख्य लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02 समाज कल्याण–0102 बाल कल्याण–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें 0103 निदेशालय आई0सी0डी0एस0 की स्थापना (90 प्रतिशत के0सहा0) की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

7— उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या 148 /XXVII(7)/2012, दिनांक 30—3—2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 217 (1)/XVII(4)/2011/तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (भारत सरकार), नई दिल्ली।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूॅं मण्डल उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (वे0आ0स0नि0) अनुभाग—7
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव